

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 349] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 1979/कार्तिक 15, 1901
No. 349] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 1979/KARTIKA 15, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 613(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकीहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 36-सीमा-शुल्क तारीख 15 फरवरी, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

(क) शर्त (1) में “उद्योग मंत्रालय का तकनीकी विकास महा निदेशक” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, उद्योग मंत्रालय का तकनीकी विकास महानिदेशक या सम्बद्ध राज्य का उद्योग निदेशक” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) शर्त (2) के परचात् निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) आयातकर्ता ऐसी अवधि के भीतर जैसी सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति उद्योग मंत्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशक या सम्बद्ध राज्य के उद्योग निदेशक से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि ऐसे पत्रों का उपयोग पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए किया गया है।”

[अधिसूचना सं. 212/फा. सं. 370/76/79-सीमा-शुल्क 1]

के. चन्द्रमौलि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 613(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 36-Customs, dated the 15th February, 1979, namely :—

In the said notification :—

(a) in condition (i), after the words “Ministry of Industry”, the words or the Director of Industries of the State concerned, as the case may be”, shall be inserted ;

(b) after condition (ii), the following condition shall be inserted, namely :—

“(iii) the importer shall, within such period as the Assistant Collector of Customs may specify in this behalf, produce a certificate from the Director General of Technical Development of the Ministry of Industry or the Director of Industries of the State concerned, as the case may be, to the effect that such parts have been used for the aforesaid purpose.”

[No. 212/F. No. 370/76/79-Cus. 1]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.